<u>Circular No. 10/2014-Customs</u>

F. No. 450/23/2014-Cus IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Excise and Customs)

227 –B, North Block
New Delhi, dated 17.10.2014

To,
All Chief Commissioners of Customs/Customs (Preventive)
All Chief Commissioners of Customs and Central Excise
All Commissioners of Customs
All Commissioners of Customs and Central Excise

Sir / Madam,

Subject :- Import of Pesticides-reg.

Reference is invited to Board Circular No7/2014-Cus dated 7.04.2014 on compliance of Order of Hon'ble High Court of Gujarat regarding import of formulations into India which lays down that Commissioner of customs concerned should ensure that in case of import of formulations, the samples of its technical grade / material is tested. For this purpose actual physical sample of each technical grade of each consignment has to be provided by the importer which will be subjected to all tests applicable to the indigenous manufacturer such as the examination of the chemical composition, test with regard to bio efficacy as well as its probable effect on the soil and human life.

2. The matter has been re-examined in the light of Order dated 28.03.2014 in Misc Civil Application No. 2483 of 2013 and Misc. Civil Application No 2496 of 2013 of High Court of Gujarat and in consultation with Department of Agriculture. It is, accordingly, clarified that the technical grade/ material shall not be insisted upon with each imported consignment of formulation once such technical grade/ material has been supplied for the purpose of analysis and scrutiny prior to the registration. Further, each consignment of formulation which is imported should be verified and tested so that it matches with the technical grade material regarding specification and quality.

3. Board Circular No 7/2014- Cus dated 7.04.2014 stands modified to the above extent.

4. Suitable Public notice may be issued for guidance of staff and trade.

Yours sincerely,

(R.P.Singh)
Director (Customs)

परिपत्र सं. 10/2014-सीमा शुल्क.

फा.सं.450/23/2014-सीमाशुल्क–

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

227-बी, नार्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर, 2014

सेवा में,

सीमाशुल्क/सीमाशुल्क (निवारक) के सभी मुख्य आयुक्त,
सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त,
सीमाशुल्क के सभी आयुक्त,
सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी आयुक्त,

विषय:- कीट नाशकों के आयात के संबंध में।

महोदय/महोदया,

भारत में सूत्रण (फारम्यूलेशन) के आयात के बारे में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में जारी, बोर्ड के दिनांक 07.04.2014 के परिपत्र संख्या 7/2014- सीमाशुल्क का संदर्भ दिया जा रहा है जिसमें यह निर्धारित है कि संबंधित सीमा शुल्क आयुक्त यह सुनिश्चित करे कि सूत्रण (फारम्यूलेशन) के आयात के मामले में, इसके तकनीकी ग्रेड/सामग्री के नमूने की जांच-पड़ताल की जाती है। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक कन्साइनमैंट के प्रत्येक तकनीकी ग्रेड का वास्तविक नमूना, आयातक द्वारा मुहैय्या करवाया जाना होता है जो कि, स्वदेशी निर्माता पर लागू सभी परीक्षणों, जैसे कि रसायनिक संरचना की जांच-पड़ताल, जैव-दक्षता संबंधी जांच तथा मृदा और मानव जीवन पर इसका सम्भाव्य प्रभाव, के अध्यधीन होगा।

2. इस मामले की वर्ष 2013 के विविध सिविल आवेदन संख्या 2483 और वर्ष 2013 के विविध सिविल आवेदन संख्या 2496 के संबंध में गुजरात उच्च-न्यायालय के दिनांक 28.03.2014 के आदेश के आलोक में तथा कृषि मंत्रालय के परामर्श से पुन: जांच-पड़ताल की गई है। तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकरण से पूर्व एक बार विश्लेषण और छंटनी के आशय से, इस तरह के तकनीकी ग्रेड/ सामग्री प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात, सूत्रण (फारम्यूलेशन) के प्रत्येक आयातित कन्साइनमैंट के साथ तकनीकी ग्रेड/ सामग्री प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा सूत्रण (फारम्यूलेशन) की प्रत्येक कन्साइनमैंट जिसका आयात किया जाता है, को सत्यापित किया

जाना चाहिए तथा इसकी जांच की जानी चाहिए ताकि यह विशिष्टिकरण और गुणवत्ता के संबंध में तकनीकी ग्रेड/सामग्री जैसी हो।

3. बोर्ड का दिनांक 07.04.2014 का परिपत्र सं. 7/2014-सीमाशुल्क उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4. कर्मचारियों और व्यापार जगत के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाए।

भवदीय,

(आर.पी.सिंह)
निदेशक (सीमा शुल्क)